

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं02(1)चिस्वा/2/2023/ई-13788

जयपुर, दिनांक:

कार्यालय आदेश

एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 17362/2023 डॉ दौलत राज चौहान बनाम राज्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2023 की पालना में डॉ दौलत राज चौहान (जन्म तिथि 30.09.1966) प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 31.03.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

डॉ दौलत राज चौहान, के विरुद्ध आज तक :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

डॉ0 चौहान के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निशा मीना)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, रि-वेम्पिंग स्कीम जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जौधपुर
7. डॉ दौलत राज चौहान, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जरिये निदेशक जन स्वा0 जयपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
6993194

Document certified by NISHA MEENA
<nisha281073@yahoo.co.in>

Digitally Signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :09-05-2024 12:40:52

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-475/2024/117

दिनांक : 15.5.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प02(01)चिस्वा/2/2023/ई-13788 जयपुर दिनांक 09.05.2024
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
5. प्रभारी अधिकारी, रि-वेम्पिंग स्कीम, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
8. डॉ0 दौलत राज चौहान, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7152903

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date :14-05-2024 11:55:26